



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 87/2019
GST Circular No. 24/2019

2017/AC-II/1/6/GST/Main/Vol.III

27th September, 2019

**General Managers
All Zonal Railways/Production Units**

Sub :- Modification of GSTIN details of Customers.


Ref:- Railway Board's letter No. TCR/1078/2019/1 dated 26.9.2019.

-X-X-X-

Kindly refer to Traffic Commercial Directorate's letter mentioned above. In this regard, as clarified in RBA No. 102/2018, following instructions needs to be kept in view:-

- GSTIN modification shall not cause change in the Tax Classification. For example, if by modifying the GSTIN of Railway Customer, IGST charged in the original transaction gets changed to CGST/SGST or vice versa, then **Credit Note** will have to be issued by the concerned Railways and simultaneously modification should be done. Otherwise, Railway will be paying double tax on the same transaction.
- While modifying the GSTIN that is resulting in change of Tax classification, the CRIS system will mandatorily capture the credit note issued and both the credit note and modified invoice shall be reported in the GST Returns.
- GSTIN modification without change of Tax classification may all be permitted. However **all the modification shall only be authorized by at least JAG/SG Officers and above.**

The above may be brought to the notice of all the Departments including nodal GST Cell for strict compliance. This issues with the approval of competent authority.


(V.Prakash)

**Joint Director/Accounts
Railway Board**

Copy to:-

- PED/Finance, Railway Board;
- EDTC/R, Railway Board;
- PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
- PCCMs of all Zonal Railways;
- All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board;
- All Directors of GST Cell, Railway Board.
- Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi.
- Director/Finance, CRIS, New Delhi.
- GM/GSTM, CRIS, New Delhi.

भारत सरकार /Government of India
रेल मंत्रालय/ Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)Railway Board

आरबीए सं. 87/2019
जीएसटी परिपत्र सं.24/2019

सं.2017/एसी-III/1/6/जीएसटी/मेन/वॉल्यूम III

नई दिल्ली, दिनांक: 27-09-2019

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: - ग्राहकों के जीएसटीआईएन विवरण का आशोधन।

संदर्भ: - रेलवे बोर्ड का दिनांक 26.9.2019 का पत्र सं. टीसीआर/1078/2019/1

कृपया यातायात वाणिज्यिक निदेशालय के उक्त उल्लिखित पत्र का अवलोकन करें। इस संबंध में, आरबीए सं. 102/2018 में स्पष्ट किए गए, निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है:-

- (क) जीएसटीआईएन आशोधन से कर वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि रेलवे ग्राहक के जीएसटीआईएन को आशोधित करने से, मूल लेनदेन में वसूल किया गया आईजीएसटी, सीजीएसटी / एसजीएसटी या विलोमतः बदल जाता है, तो संबंधित रेलवे द्वारा क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा और साथ ही इसमें आशोधन किया जाना चाहिए। अन्यथा, रेलवे को एक ही लेनदेन पर दोहरे कर का भुगतान करना होगा।
- (ख) जीएसटीआईएन को आशोधित करने से अर्थात् कर वर्गीकरण के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, क्रिस प्रणाली जारी किए गए क्रेडिट नोट को अनिवार्य रूप से दर्ज कर लेगी और क्रेडिट नोट तथा आशोधित बीजक दोनों को जीएसटी रिटर्न में दिखाया जाएगा।
- (ग) कर वर्गीकरण में परिवर्तन किए बिना जीएसटीआईएन आशोधन की अनुमति दी जाए। हालाँकि, सभी आशोधन करने के लिए कम -से -कम जेएजी / एसजी और इसके ऊपर के अधिकारी ही प्राधिकृत होंगे।

नोडल जीएसटी सैल के साथ-साथ सभी विभागों को इसका कड़ाई से अनुपालन करने की सूचना दी जाए। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

६.

(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :

- 1 प्रधान कार्यपालक निदेशक/वित्त, रेलवे बोर्ड
- 2 कार्यपालक निदेशक यातायात वाणिज्यिक/ दर, रेलवे बोर्ड
- 3 प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां
- 4 सभी क्षेत्रीय रेलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक
- 5 रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक
- 6 जीएसटी सैल के सभी निदेशक, रेलवे बोर्ड
- 7 प्रबंध निदेशक, रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- 8 निदेशक/वित्त, क्रिस, नई दिल्ली
- 9 महाप्रबंधक/जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली